न्यायालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला बस्तर, जगदलपुर

//आदेश//

वि0दा0प्र0क्र0 – /2021

(धारा 144 (2) द0प्र0सं0 के अन्तर्गत आज दिनांक 24/03/2021 को पारित)

छ0ग0 राज्य मे कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए, होलिका उत्सव,रंगपंचमी, गुडफ्राइडे, इस्टर,रमजान तथा चैत्र नवरात्रि के पर्व पर विभिन्न सम्प्रदायो के बीच सौहार्द्र का वातावरण निर्मित करने एवं कानून व्यवस्था सार्वजनिक सुरक्षा, लोक परिशांति को कायम किये जाने हेतु किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो इसका उत्तरदायित्व जिला प्रशासन का है।

मुझे समाधान हो गया है कि इस अवसर पर कानून एवं व्यवस्था को यदि नियंत्रित नहीं किया गया तो लोक परिशांति, सुरक्षा एवं सार्वजनिक सम्पति को गम्भीर खतरा हो सकता है।

मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचता हूँ कि इस प्रकार के न्यूसेंस को निवारित करने में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144,आपदा प्रबंधन अधिनियम,2005 की धारा 30,34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट, 1897 यथा संशोधित 2020 के अन्तर्गत समुचित आदेश पारित किया जाये, जिससे कि आशंकित खतरे का निवारण हो सके, इसलिए मैं रजत बंसल, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला बस्तर, छ0ग0 दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144(2) के अन्तर्गत निम्नांकित प्रतिबंधात्मक आदेश सम्यक रूप से पारित करता हूँ :–

(I) दिनांक 24/03/2021 से जिले में कोई भी व्यक्तियों के समूह द्वारा भले ही वह अनुज्ञप्तिधारी हो, किसी प्रकार के विस्फोटक पदार्थ, अस्त्र–शस्त्र, लाठी, डण्डा लेकर घूमना वर्जित होगा। ड्यूटी में तैनात सुरक्षाकर्मी इस प्रतिबंधात्मक प्रभाव से मुक्त रहेंगे।

(II) कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा प्रश्नाधीन अवधि में विस्फोटक सामग्री, लाठी, डण्डा, अस्त्र–शस्त्र एवं धारदार हथियार लेकर नही चलेगा, ना ही चलने के लिए किसी को प्रेरित किया जावेगा। 5 से अधिक व्यक्ति तथा समूह में पाये जाने पर दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए वर्तमान परिस्थिति के अनुकूल निम्नानुसार आदेश पारित किया जाता है:–

(I) होली मिलन का कार्यकम सार्वजनिक उत्सव के रूप में प्रतिबंधित रहेगा । घरो मे ही कार्यकम आयोजित किया जावे । सार्वजनिक कार्यकम की अनुमति नहीं दी जायेगी । डीजे,नगाड़ा अथवा अन्य समस्त प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रो का उपयोग आगामी आदेश पर्यंत प्रतिबंधित रहेगा।

(II) समस्त प्रकार के सार्वजनिक कार्यकम, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, खेलकूद कार्यकम प्रतिबंधित रहेगा । व्यक्तिगत/एकल रूप से धार्मिक संस्थाओं मे प्रवेश किया जा सकता है, परन्तु किसी भी प्रकार का सामूहिक कार्यकम की अनुमति नहीं होगी । मेलो एवं समारोह का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा ।

(III) विवाह/अंत्येष्ठि/दसगात्र/सार्वजनिक कार्यकम में अधिकतम 50 लोगो की सीमा निर्धारित की जाती है । उक्त कार्यकम आवश्यक होने पर संबंधित तहसीलदार से अनिवार्यतः अनुमति ली जावे । किसी भी संस्था अथवा खुली जगह अथवा बाजार मे किसी भी कारण से भीड़ भाड़ की

Scanned with CamScanner

स्थिति निर्मित न हो। सोशल डिस्टेशिंग हेतु मापदण्ड के अनुरूप गोले बनाये जावे, सेनेटाइजर की व्यवस्था हो, तथा मास्क अनिवार्यतः लगायी जावे ।

(IV) होटल,रेस्टोरेंट आदि मे बैठकर भोजन ग्रहण करने की अनुमति नही होगी । किन्तु घर ले जाने (Take away) की सुविधा रहेगी । जिले के समस्त पर्यटन स्थलो के भ्रमण पर प्रतिबंध रहेगा।

(V) सार्वजनिक स्थलो मे मास्क न लगाने पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने तथा सेनिटाइजर का उपयोग नही करने पर एक बार मे 500/–रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किया जाकर कड़ाई से वसूल की जावेगी ।

(VI) सार्वजनिक स्थलो यथा सिनेमा हॉल,मॉल,होटल,एयरपोर्ट,रेल्वे,बस स्टैण्ड,पोस्टआफिस,बैंक आदि मे आने जाने वाले लोगों की दैनिक जांच की जावेगी। अन्य राज्यो से हवाई यात्रा,रेल अथवा सड़क मार्ग से जिले मे प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों को 07 दिवस होम क्वारेंटाइन मे रहना अनिवार्य होगा ।

(VII) यदि किसी व्यक्ति को सर्दी,खांसी,बुखार,सांस लेने मे तकलीफ, स्वाद या गंध महसूस नही होना, दस्त उल्टी या शरीर मे दर्द की शिकायत हो तो निकटतम केन्द्र मे कोविड़–19 जांच कराना तथा जांच रिर्पोट प्राप्त होने तक होम क्वारेंटाइन मे रहना अनिवार्य होगा । रिर्पोट पाजेटिव होने तथा होम आइसोलेशन हेतु अनुमति प्रदान किये जाने पर अनुमति की शर्तो का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा ।

बस्तर जिले मे कोरोना वायरस (कोविड–19) के बढ़ते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए कोरोना वायरस निगरानी,जांच,निरीक्षण दल द्वारा भौतिक परीक्षण, संगरोध और ईलाज से संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों को यदि कोई भी व्यक्ति सहयोग देने से इंकार करता है अथवा इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो वह व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 270 सहपठित एपिडेमिक डिसिजेज एक्ट, 1897 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अधीन दण्ड का भागी होगा ।

सामान्य जनता को संबोधित करते हुए यह आदेश एकपक्षीय पारित किया जाता है, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी है कि समयाभाव के कारण पृथक से पूर्व सूचना देते हुए नोटिस दिया जाना संभव नही हो रहा है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश पर्यंत प्रभावशील रहेगा।

आज दिनांक 24/03/2021 को रात्रि 10.00 बजे को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा सहित यह आदेश पारित किया जाता है।

(रजत बसंल)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला बस्तर, जगदलपुर

जगदलपुर, दिनांक 24/03/2021

पृ0क्र0/243/वि0दा0प्र0क्र0/2021

प्रतिलिपि :–

1/ प्रमुख सचिव, गृह विभाग (सी–अनुभाग) मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर।
2/ आयुक्त, बस्तर संभाग, जगदलपुर।
3/ पुलिस महानिरीक्षक, बस्तर रेंज, जगदलपुर।

Scanned with CamScanner

4/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला बस्तर, जगदलपुर।
5/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जगदलपुर,जिला बस्तर ।
5/ अपर जिला दण्डाधिकारी, जिला बस्तर।
6/ सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जिला बस्तर।
7/ नगर दण्डाधिकारी, जगदलपुर।
8/ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,जगदलपुर,जिला बस्तर ।
9/ सर्व अनुविभागीय अधिकारी पुलिस, बस्तर जिला।
10/ नगर पुलिस अधीक्षक, जगदलपुर।
11/ सर्व तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिला बस्तर ।
12/ सर्व थाना प्रभारी, जिला बस्तर।
13/ संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क, बस्तर जिला, जगदलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(रजत बंसल)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला बस्तर, जगदलपुर

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला बस्तर (छ.ग.)

Scanned with CamScanner